न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 505/2017
अनवान : –

1. धर्मपाल वल्द गणपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. इन्द्राज 3. रामप्रताप 4. हरिशचन्द्र पि0 गणपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. मैनेजर एसबीबीजे बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 10/06/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 419 के ख०न० 637 की 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि के गणपतराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे।

उपरोक्त वाद भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में सहबन से 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि के स्थान पर 29 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी तथा उसके पश्चातवर्ति राजस्व रेकार्ड में सहबन व अनुचित तरीके से 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी। जबकि वाद भूमि 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर आज भी कब्जा काश्त वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 का बदस्तुर चला आ रहा है भू–प्रबन्धक विभाग को मिलान क्षेत्रफल में केवल पूर्व का इन्द्राजात ही दर्ज करना चाहिए था उसे 58 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर 29 बीघा 10 बिस्वा करने की अधिकारिता नही थी। मिलान क्षेत्रफल में भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा सहबन व अनुचित तौर से साबिका ख0न0 637 के हाल ख०न० 694 परिवर्तित करते वक्त रक्बा 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने से रह गया है जबकि जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015 के अनुसार ही उक्त रकबो कानूनी तौर से दर्ज किया जाना था परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा उक्त त्रुटि सहबन है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर वाद भूमि मिलान क्षेत्रफल व राजस्व रेकार्ड दोनो में दुरूस्त करापाने का अधिकारी है। जबकि वादी व तरतीबी प्रतिवादी स० 2 ता 4 के 58 बीघा 11 बिस्वा यानि 14.81315 हैक्ट भूमि दर्ज करवा पाने का अधिकारी है उपरोक्त आश्यों की वादी घोषणा करवापाने का अधिकारी है। उपरोक्त वाद भूमि गणपतराम के बाद वफात उनके चारो पुत्रो इन्द्राज, धर्मपाल, रामप्रताप व हरिशचन्द्र पर औद हुई उन्होने परस्पर वाद भूमि का खाता व तकासमा करा लिया जिसके मुताबिक चार खातो में अलग–अलग विभाजित हो गई खाता स० 39/37 इन्द्राज पुत्र गणपतराम के ख0न0 694/1 की 1.7070 हैक्ट भूमि व खाता स० 787/770 हरिशचन्द्र पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

गणपतराम के ख०न० 694/2 की 1.7070 हैक्ट, भूमि व खाता स0 591/589 के ख0न0 694/3 की 1. 7070 हैक्ट भूमि व रामप्रताप पुत्र गणपतराम के खाता स० 283/272 के ख0न0 694/4 की 0.6320 हैक्ट भूमि वादी धर्मपाल के दर्ज हुई यानि ख0न0 694/1 व ख0न0 694/2, ख0न0 694/3, व ख0न0 694/4 की 5.753 हैक्ट भूमि दर्ज हुई। जबकि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 के चारो के 14.81315 हैक्ट भूमि दर्ज की जानी थी तथा वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार पूर्ववर्ती इन्द्राजात कलमजन कराया जाकर उपरोक्तानुसार वादी हक व हिस्से की घोषणा करा पाने का मजाज है।

वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स० 2 ता 4 की 14.81315 हैक्ट भूमि खातेदारी कृषि भूमि थी जो उनकी पैतृक कृषि भूमि थी उक्त भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा ख०न० 694/1 लगायत 694/4 यानि खाता स० 39/37, 283/272 व 591/589 व 787/770 रोही मौजा भूकरका में उपरोक्त 14.7018 हैक्ट यानि 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा अपने – अपने उपरोक्त खातेजात में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। जमाबन्दी हाल में पूर्ववर्ती इन्द्राजात कलमजन करवाकर जमाबन्दी हाल संशोधित व दुरूस्त करवाकर उपरोक्त हक व हिस्सानुसार दर्ज करवापाने के अधिकारी है। पूर्ववर्ती इन्द्राजात सहबन से अमलामाल द्वारा सही तौर से दर्ज किया जाना रह गया जबकि वाद भूमि ख0न0 694 के साबिका ख0न0 637 मिन यानि दोनो खसरेजात में 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 के पिता के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। महकमा राजस्व को केवल पूर्ववर्ती इन्द्राजात को ही दोहराना व दर्ज किया जाना था। उक्त वृटि व गलती को वादी संशोधित व दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है।

अत वाद वादी घोषणा कि जावे कि रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स० 39/37, व खाता स0 283/272 व खाता स० 591/589 व खाता स० 787/770 चारो खातेजात में ख0न0 694/1 से लगायत 694/4 तक की भूमि में पूर्ववर्ति इन्द्राजात कलमजन कर कुल 14.81315 हैक्ट भूमि में वादी 1/4 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी स० 2 ता 4 प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। परोकार राज द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी स० 2 ता 4 की 14.81315 हैक्ट भूमि खातेदारी कृषि भूमि थी जो उनकी पैतृक कृषि भूमि थी उक्त भूमि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी स0 2 ता 4 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है तथा ख०न० 694/1 लगायत 694/4 यानि खाता स० 39/37,

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

283/272 व 591/589 व 787/770 रोही मौजा भूकरका में उपरोक्त 14.7018 हैक्ट यानि 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा अपने – अपने उपरोक्त खातेजात में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। जमाबन्दी हाल में पूर्ववर्ती इन्द्राजात कलमजन करवाकर जमाबन्दी हाल संशोधित व दुरूस्त करवाकर उपरोक्त हक व हिस्सानुसार दर्ज करवापाने के अधिकारी है। पूर्ववर्ती इन्द्राजात सहबन से अमलामाल द्वारा सही तौर से दर्ज किया जाना रह गया जबकि वाद भूमि ख0न0 694 के साबिका ख0न0 637 मिन यानि दोनो खसरेजात में 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 के पिता के नाम से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। महकमा राजस्व को केवल पूर्ववर्ती इन्द्राजात को ही दोहराना व दर्ज किया जाना था। उक्त वृटि व गलती को वादी संशोधित व दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। रोही मौजा भूकरका तहसील नोहर के खाता स0 419 के ख०न० 637 की 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि के गणपतराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर खातेदार काश्तकार थे। उपरोक्त वाद भूमि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में सहबन से 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि के स्थान पर 29 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी तथा उसके पश्चातवर्ति राजस्व रेकार्ड में सहबन व अनुचित तरीके से 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी। जबकि वाद भूमि 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर आज भी कब्जा काश्त वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 का बदस्तुर चला आ रहा है भू–प्रबन्धक विभाग को मिलान क्षेत्रफल में केवल पूर्व का इन्द्राजात ही दर्ज करना चाहिए था उसे 58 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर 29 बीघा 10 बिस्वा करने की अधिकारिता नही थी। मिलान क्षेत्रफल में भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा सहबन व अनुचित तौर से साबिका ख0न0 637 के हाल ख०न० 694 परिवर्तित करते वक्त रक्बा 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने से रह गया है जबकि जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015 के अनुसार ही उक्त रकबो कानूनी तौर से दर्ज किया जाना था परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा उक्त त्रुटि सहबन है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर वाद भूमि मिलान क्षेत्रफल व राजस्व रेकार्ड दोनो में दुरूस्त करापाने का अधिकारी है।अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने गैरखातेदारी से खातदोरी दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा कथन किया गया है कि भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल में सहबन से 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि के स्थान पर 29 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी तथा उसके पश्चातवर्ति राजस्व रेकार्ड में सहबन व अनुचित तरीके से 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज कर दी। जबकि वाद भूमि 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर आज भी कब्जा काश्त वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण स० 2 ता 4 का बदस्तुर चला आ रहा है भू–प्रबन्धक विभाग को मिलान क्षेत्रफल में केवल पूर्व का इन्द्राजात ही दर्ज करना चाहिए था उसे 58 बीघा 11 बिस्वा के स्थान पर 29 बीघा 10 बिस्वा करने की अधिकारिता नही थी। मिलान क्षेत्रफल में भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा सहबन व अनुचित तौर से साबिका ख0न0 637 के हाल ख०न० 694 परिवर्तित करते वक्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रक्बा 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने से रह गया है जबकि जमाबन्दी सम्बत 2012 से 2015 के अनुसार ही उक्त रकबो कानूनी तौर से दर्ज किया जाना था परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा उक्त त्रुटि सहबन है जिसे वादी दुरूस्त करवाकर वाद भूमि मिलान क्षेत्रफल व राजस्व रेकार्ड दोनो में दुरूस्त करापाने का अधिकारी है लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे साबित हो की साबिका ख0न0 637 से हाल ख0न0 694 में परिवर्तित व पैमुद हुआ है। वादी के द्वारा सम्वत 2012 व हाल ख0न0 के मिलान का भी कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किया गया है जिससे वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष साबित हो सकें। अत वाद वादी साबिका ख0न0 व हाल ख0न0 का मिलान नही होने के कारण एवं साक्ष्य सबूतो के अभाव में खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक .....10/06/26..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 505 / 2017

अनवान : –

1. धर्मपाल वल्द गणपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
2. इन्द्राज 3. रामप्रताप 4. हरिशचन्द्र पि0 गणपतराम जाति जाट निवासी भूकरका तहसील नोहर।
5. मैनेजर एसबीबीजे बैंक शाखा नोहर तहसील नोहर।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 505 सन 2017 निर्णय दिनांक 10/06/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मदन मोहन जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/06/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर